

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल,
मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक- 05/03/2018

विषय:- श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को विपत्र कोड-20-2210011100008 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुनर्विनियोग से प्राप्त संविदा सेवायें तथा मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय मद में कुल रू0 2,00,00,000/- (रुपये दो करोड़) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-185, दिनांक-18.01.2018 के आलोक में श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को विपत्र कोड-20-2210011100008 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुनर्विनियोग से प्राप्त संविदा सेवायें तथा मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय मद में कुल रू0 2,00,00,000/- (रुपये दो करोड़) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति निम्नरूपेण प्रदान की जाती है-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पुनर्विनियोग से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	पूर्व का कुल आवंटन	वर्तमान आवंटन	अद्यतन कुल आवंटन	शेष राशि
0008.28.02 संविदा सेवायें	50000000	10000000	60000000	50000000	10000000	60000000	0
0008.52.01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय	20000000	10000000	30000000	20000000	10000000	30000000	0
योग-	70000000	20000000	90000000	70000000	20000000	90000000	0

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561/वि०(2) दिनांक 17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक 06.05.06 एवं 2938/वि०(2), दिनांक 08.04.08 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।


4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष- 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0008-श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर विपत्र कोड-20-2210011100008 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत्यादेश सं०-225(1) दिनांक-22.02.2018 द्वारा पुनर्विनियोग से प्राप्त उपबंधित राशि से किया जायेगा।

क्रमशः

(हस्ताक्षर)

5. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।
6. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।
7. इस आवंटनादेश द्वारा 0008.52.01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय ईकाई में आवंटित राशि में संस्थान एवं इसके प्रयोगशालाओं के मशीनों एवं उपस्कर के मरम्माति एवं रखरखाव के लिए भी राशि शामिल है।
8. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
9. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जाएगी।
10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
11. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन


5/3/18


(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/एस0के0अ0-03/2017- 101(1) ~~अ0~~/स्वा0, पटना, दिनांक- 05/03/2018
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


5/3/18
सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञाप संख्या-1/एस0मे0कॉ0अ0-01/2018-225(1) /स्वा0, पटना, दिनांक-22/ 2 /2018

सेवा में,

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

*द्वारा-वित्त विभाग

विषय:- माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0008-श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर, विपत्र कोड-20-2210011100008 में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संविदा सेवायें तथा मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय मद में रू0 2,00,00,000/- (रुपये दो करोड़) मात्र पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश- वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 489 के अन्तर्गत स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत 0008.28.02 संविदा सेवायें तथा 0008.52.01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय मद में रू0 2,00,00,000/- (रुपये दो करोड़) मात्र की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

2. उक्त राशि माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0008-श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर, विपत्र कोड-20-2210011100008 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा (विवरणी संलग्न)।

3. संबंधित वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 वि0(2) दिनांक 17.04.98, परिपत्र सं0 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007 एवं 2398 वि0(2) दिनांक 08.04.08 में निदेशित प्रक्रिया के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।


4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।


6. प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7. प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


22/2/18
(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप संख्या-1/एस0मे0कॉ0अ0-01/2018-225(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 22 / 2 /2018
प्रतिलिपि-वित्त विभाग, बजट शाखा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-1 को
अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


22/2/18
सरकार के विशेष सचिव